

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक- 15.05.2020

विषय- स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्व में सृजित पद के अवधि विस्तार एवं उपबंध की राशि रुपये- 256.00 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि निम्नलिखित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना राज्य स्कीम में सृजित पदों का अवधि विस्तार 2026-27 के लिए किया जाता है-

क्र०सं	संस्थान का नाम	व्यवसाय	स्वीकृत यूनिट	अनुदेाक के स्वीकृत पद
1	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना	IT& ESM	01	01
		Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	IT& ESM	01	01
3	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी	Electrician	01	01
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	Electronics Mechanic	01	01
5	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा	Electrician	01	01
		Additive Manufacturing technician 3D Printing	02 (1+1)	02
		Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
6	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिवान	IT& ESM	01	01
		Additive Manufacturing technician 3D Printing	02 (1+1)	02
7	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया	Electronics Mechanic	01	01
8	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	Additive Manufacturing technician 3D Printing	02 (1+1)	02
9	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	Additive Manufacturing technician 3D Printing	02 (1+1)	02
		Computer Added Embroidery and Designing	02 (1+1)	02
10	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
11	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
		Mechanic Consumer Electronic Appliances	02 (1+1)	02
12	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02

13	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
14	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सारण	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02
15	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद	Internet of Things Technician (Smart Health care)	02 (1+1)	02

वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में यह राज्य स्कीम स्वीकृत किया जा चुका है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-2027 में इस राज्य स्कीम के अंतर्गत उपबंधित राशि निम्नवत् है-

कुट इकाई	विषय शीर्ष	राशि
0105.01.01	वेतन	1,06,00,000.00
0105.01.03	जीवन यापन भत्ता	70,00,000.00
0105.01.04	मकान किराया भत्ता	11,00,000.00
0105.01.05	परिवहन भत्ता	2,00,000.00
0105.01.06	चिकित्सा भत्ता	2,00,000.00
	कुल वेतन	1,91,00,000.00
0105.11.01	यात्रा भत्ता	1,00,000.00
0105.13.01	कार्यालय व्यय	30,00,000.00
0105.28.02	सविदा सेवाएँ	4,00,000.00
0105.52.01	मशीनों एवं उपस्कर-कार्यालय	30,00,000.00
	कुल वेतन	2,56,00,000.00

इस प्रकार कुल रुपये- 256.00 लाख (दो करोड़ छप्पन लाख) की राशि को वित्तीय वर्ष 2026-2027 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विमुक्त राशि का उपयोग स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने से संबंधित राज्य स्कीम हेतु नियमानुसार किया जा सकेगा।

3 क्रय किए गए मशीनों एवं उपस्करों का इस्तेमाल नहीं होने की स्थिति में संबंधित यूनिट के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।

4. सभी सामग्रियां प्राधिकृत डीलर/अधिकृत विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जायेगी जिसके गुणवत्ता के लिए संबंधित प्राचार्य जिम्मेवार होंगे।

5. इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा संबंधित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी।

6. इस योजना पर होने वाला व्यय माँग संख्या-53 मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 प्रशिक्षण, लघुशीर्ष 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष-0105 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना, विपत्र कोड 53-2230031010105 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।


7. यह चालू योजना है।

8. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-टी-3/यो0-25/2008 के पृ0-159/टि0 पर विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-टी-3/यो0-25/2008 के पृ0-159/टि0 पर प्राप्त है एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-157/टि0 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं0-2561 दिनांक-17.04.98 के प्रावधान के अनुसार राशि विमुक्त/ आवंटित किया जायेगा।



विश्वासभाजन



(शंकर दयाल)

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास
विभाग।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

टी 3/योजना-25/2008 868

योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/सचिव के आप्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना दिनांक-15.05.2026

S. Anand
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

टी 3/योजना-25/2008 868

सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

पटना दिनांक-15.05.2026

S. Anand
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

टी 3/योजना-25/2008 868

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण सभी प्राचार्य/उप प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/निदेशालय बजट शाखा /मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना दिनांक-15.05.2026

S. Anand
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

टी 3/योजना-25/2008 868

आई0टि0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना/दिनांक-15.05.2026

S. Anand
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

